राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक 10 SEP 2014

–: आदेश :–

श्री गोविन्द गुप्ता, आइ.पी.एस., महानिरीक्षक पुलिस, कानून व्यवस्था, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 32/2014 है तथा जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2028 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए 'आउट ऑफ टर्न' के आधार पर राजकीय आवास संख्या I/ए/5, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. सेवानिवृत्त उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या 14007258 दिनांक 3.9.2014 के क्रम में।
7. श्री गोविन्द गुप्ता, आई.पी.एस., महानिरीक्षक पुलिस, कानून व्यवस्था, जयपुर।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. सम्बन्धित अधिकारीगण।
14. निदेशक / उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
18. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
19. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
20. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/14 जयपुर, दिनांक 10 SEP 2014

–: आदेश :–

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम् श्रेणी की वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश प. 18(1)साप्र/2/2014 दिनांक 1.7.2014 के द्वारा आवंटित किए गए थे, जिनका आवंटियों द्वारा कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है :–

क्र सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	18/2007	श्री संजीव वल्लभ मिश्रा रेफ्रिजिरेटर मैकेनिक जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर	5/151, गांधीनगर	31.03.2026
2	20/2007	श्री राजेश्वर दयाल गर्ग वरिष्ठ लिपिक कार्यालय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जयपुर	5-A-9, बहुमंजिला गांधीनगर.	31.10.2025
3	5/2011	श्री दिलीप कुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–II, जयपुर	GAD-V-T-I/77 विद्याधर नगर	31.7.2048
4	107/2011	श्री संदीप जैन कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	GAD-V-T-I/120 विद्याधर नगर	31.7.2031

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कार्यालय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।
7. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–II, जयपुर
8. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–खण्ड–तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
15. सम्बन्धित कर्मचारीगण
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव 10/9/14